Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **<u>न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़</u>** मुकाम **<u>चित्तौड़गढ</u>**

<u>विश्वास पेट्रोलियम</u> बनाम **<u>सरकार</u>**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत :–</u> **<u>धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973</u>**

किस्म मुकदमा **<u>विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)</u>** नं0 **<u>043</u>** सन् **<u>2023</u>**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2023	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार हाजिर। पुलिस थाना भादसौडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 031/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 व 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन मय माल के निस्तारण बाबत् प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जो कि न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 007/2023 (रसद) दर्ज रजिस्टर है। हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थाना भादसौडा द्वारा दिनांक 17.03.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 031/2023 में जब्तशुदा माल के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः दोनो में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। प्रकरण संख्या 007/2023 (रसद) में प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किये जाने को आदेश दिये जा चुके है, एवं हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को आदेशानुसार जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामप पेश किये जाने के आदेश दिये जा चुके है, अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः पत्रावली में कार्यवाही अपेक्षित दाद प्राप्त हो जाने से समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 007/2023(रसद) के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 04.07.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	